

**आवश्यक**  
**नगरपालिका आम चुनाव, 2022**



**राज्य निर्वाचन आयोग,**  
**बिहार**  
**STATE ELECTION COMMISSION,**  
**BIHAR**

पत्र संख्या -न.नि.50-228/2022-362 सत्यमेव जयते

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,  
सचिव,  
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला दण्डाधिकारी-सह-  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)।

पटना, दिनांक - 6.9.22

**विषय : नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 : वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की भाँति नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022 हेतु वज्रगृह एवं मतगणना स्थल का चयन जिला स्तर पर किया जाय, जहाँ विधि-व्यवस्था आसानी से नियंत्रित हो सके। दिनांक 22.08.2022 को विडियोकॉन्फ्रेंसिंग में विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। साथ ही मतगणना केन्द्र के निर्धारण के संबंध में आयोग द्वारा निर्गत 'मतगणना संबंधी अनुदेश पुस्तिका' के अध्याय - 4 में विस्तार से उल्लेख किया गया है, जिससे संबंधित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् है :-

(i) प्रत्येक निकाय हेतु अलग-अलग मतगणना केन्द्र चिह्नित/स्थापित किया जायेगा। अर्थात् यदि कोई मतगणना केन्द्र किसी नगरपालिका के लिए निर्धारित किया हुआ है, तो उस चरण में ही होने वाले किसी अन्य नगरपालिका का मतगणना उसी मतगणना केन्द्र पर नहीं किया जायेगा। किसी बड़े परिसर अथवा भवन में एक से अधिक मतगणना केन्द्र बनाये जाने पर कोई रोक नहीं है।

(ii) प्रत्येक नगरपालिका के सभी पदों यथा पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मुख्य पार्षद के मतगणना हेतु अलग-अलग मतगणना हॉल निर्धारित किया जायेगा। तीनों पद के लिए मतपत्र के रंग के अनुरूप कलर स्टिकर का उपयोग कर पदवार अंतर स्पष्टतः रखी जाए।

(iii) ससमय मतगणना सम्पन्न करने हेतु अधिकतम 11 (ग्यारह) चक्र में मतगणना का कार्य सम्पादित किया जा सकता है।

(iv) नगरपालिका के मतदान केन्द्र की संख्या एवं उपर्युक्त उप कंडिका (iii) में वर्णित मतगणना के राउण्ड (चक्र) को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक हॉल में टेबल की संख्या 5, 10 एवं 14 आवश्यकतानुसार निर्धारित की जा सकती है।

उक्त 5, 10 एवं 14 टेबल का निर्धारण इस प्रकार से किया जाये कि प्रत्येक मतगणना केन्द्र की मतगणना अधिकतम 11 राउण्ड में उसी दिन ससमय समाप्त हो जाये। इसके तहत मतगणना समाप्ति के समय एवं मतगणना के राउण्ड को एकरूपता प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है।

2. मतगणना केन्द्र पर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता एवं व्यवस्था हो। मतगणना केन्द्र और वज्रगृह आसपास यथासंभव एक ही परिसर में होना आवश्यक है, ताकि पोल्ड ई.वी.एम. हेतु मानक सुरक्षा

5.9.22

की व्यवस्था की जा सके। साथ ही इससे मतगणना के समय वज्रगृह से मतगणना हॉल तक ई.वी.एम. को सुरक्षित एवं आसानी से लाया जा सके। उदाहरणस्वरूप नगर पंचायत, नगर परिषद एवं नगर निगम से संबंधित मतगणना केन्द्र का ले-आऊट आपकी सुविधा के लिए दृष्टांतमात्र **अनुलग्नक ख-1, ख-2 एवं ख-3** के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

3. पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की भाँति जिलान्तर्गत सभी नगरपालिकाओं का **मतगणना जिलास्तर पर** कराये जायेंगे। जिन जिलों में **दो चरण** में मतदान होंगे, वहाँ **उन्हीं मतगणना हॉल** का उपयोग किया जायेगा। तीनों पदों के लिए **अलग-अलग मतगणना कक्ष रखें** जायेंगे ताकि किसी पद का कोई ई.वी.एम. किसी अन्य पद के ई.वी.एम. में मिल न सके **एवं पारदर्शी** तरीके से मतगणना सम्पन्न हो। एक स्थान पर मतगणना केन्द्र रहने से सभी प्रकार का आधारभूत संरचना तैयार रहेगी तथा इन्टरनेट लीज लाईन की व्यवस्था, ई.वी.एम. से प्राप्त आँकड़ों का ओ.सी.आर. पद्धति से मतगणना आदि करा सकने में ज्यादा सुविधा होगी।

4. मतगणना पदवार एवं प्रत्येक हॉल में निर्वाची पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में प्राधिकृत प्रतिनियुक्त सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा कराया जायेगा, परन्तु मतगणना की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाची पदाधिकारी की होगी। उक्त व्यवस्था से निम्नलिखित सुविधायें सुनिश्चित होंगी :-

(क) मतगणना का कार्य उसी दिन समाप्त हो सकेगा।

(ख) एक हॉल में पद विशेष का मतगणना होने से किसी भी कारणवश मतगणना में विलम्ब होने की स्थिति में दूसरे पद के अभ्यर्थी मतगणना हेतु उतावला नहीं होंगे।

(ग) मतगणना कर्मी भी स्वतंत्र होकर मतगणना कार्य करेंगे। उन्हें इस बात का दवाब नहीं होगा कि इसके बाद दूसरे पद का भी मतगणना करना है।

(घ) मतगणना अलग-अलग होने से मतगणना संबंधी सामग्री, प्रपत्र आदि भी व्यवस्थित रहेंगे।

5. प्रत्येक हॉल में मतगणना टेबल इस तरह व्यवस्थित किया जाये ताकि वह हिले नहीं। ओ.सी.आर. तकनीक से मतगणना के दौरान टेबल के हिलने मात्र से मतगणना की शुद्धता प्रभावित होगी।

6. उपर्युक्त निदेशों के आलोक में नगरपालिका में उसके अन्तर्गत पड़नेवाले मतदान केन्द्र की संख्या को आधार मानते हुए मतगणना हॉल की संख्या, उसमें लगने वाले टेबुल की संख्या एवं ओ.सी.आर. कैमरा की संख्या का आकलन किया गया है, जिससे संबंधित सूची सुविधा हेतु **अनुलग्नक-क** के रूप में दृष्टांत मात्र संलग्न किया जा रहा है।

7. पदवार मतगणना हॉल के बाहर प्रतीक्षा स्थल पर एक डैशबोर्ड लगाया जाय जिससे पदवार/क्रमवार/चक्रवार (Round-wise) होने वाले मतगणना की सूचना अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ता/मतगणना अभिकर्ता को हो सके।

उपर्युक्त सन्दर्भ में आयोग का निर्देश है कि जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) स्वयं स्थिति का आकलन कर बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र स्थल निर्धारण संबंधी प्रस्ताव एवं वज्रगृह तथा मतगणना केन्द्र योजना संबंधी नक्शा **दिनांक 08.09.2022 तक संलग्न प्रपत्र (अनुलग्नक-ग)** में भेजते हुये आयोग का अनुमोदन प्राप्त कर ली जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

  
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-24/2022- 3627

पटना, दिनांक - 6.9.22


प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराने हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-24/2022- 3627

पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।

ज्ञापांक - न.नि.50-24/2022- 3627

पटना, दिनांक - 6.9.22

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
सचिव।



## मतगणना केन्द्र हेतु हॉल एवं कैमरों की संख्यात्मक विश्लेषण प्रतिवेदन

1. नगर पंचायत में न्यूनतम एवं अधिकतम मतदान केन्द्र की संख्या 12-44
2. नगर परिषद में न्यूनतम एवं अधिकतम मतदान केन्द्र की संख्या 31-184
3. नगर निगम में न्यूनतम एवं अधिकतम मतदान केन्द्र की संख्या 181-1895

क्र0	मतदान केन्द्र परास (रेंज) (मतदान केन्द्र सं० ..... से ..... तक)	कुल नगर निकाय की संख्या	नगर निकाय	प्रत्येक पद हेतु हॉलवार टेबल की संख्या	प्रत्येक पद हेतु हॉल की संख्या	तीनों पद हेतु प्रत्येक नगर निकायवार आवश्यक हॉल की संख्या (Col 6 x 3)	तीनों पद हेतु प्रत्येक नगर निकायवार आवश्यक टेबल की संख्या (Col 5 x 3)	कुल हॉल की संख्या (Col. 3 x Col. 6 x 3)	कुल टेबल की संख्या (Col. 3 x Col.5 x Col. 6 x 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	12 - 44	146	नगर पंचायत	5	1	3	15	438	2190
2	31-55	46	नगर परिषद	5	1	3	15	138	690
3	56-110	30	नगर परिषद	10	1	3	30	90	900
4	111-154	3	नगर परिषद	14	1	3	42	9	126
5	155-184	4	नगर परिषद	10	2	6	30	24	240
6	185-220	9	नगर निगम	10	2	6	30	54	540
7	221-308	5	नगर निगम	14	2	6	42	30	420
8	309-381	4	नगर निगम	14	3	9	42	36	504
9	1895	1	पटना नगर निगम	14	13	39	42	39	546
	<b>कुल</b>	<b>248</b>		<b>96</b>	<b>26</b>	<b>78</b>	<b>288</b>	<b>858</b>	<b>6156</b>

नोट -1 केन्द्र की संख्या के आधार पर गणना की गई है।

1. प्रत्येक हॉल में अधिकतम 11 राउण्ड मतगणना का प्रावधान किया गया है।
2. प्रत्येक हॉल में टेबल की संख्या 5, 10 एवं 14 नगर निकाय के मतदान केन्द्र की संख्या एवं मतगणना के राउण्ड को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।
3. पदवार मतगणना हॉल निर्धारित/चिह्नित किया गया है।

### कुल कैमरों की संख्या :-








1. तीनों पद हेतु टेबल पर लगाने वाले कुल कैमरों की संख्या [कुल नगर निकाय की संख्या X प्रत्येक पद हेतु हॉलवार टेबल की संख्या X प्रत्येक पद हेतु हॉल की संख्या X 3 (पद)] 6156
2. तीनों पद हेतु हॉल में लगाने वाले कुल कैमरों की संख्या [कुल हॉल की संख्या x 2 (प्रत्येक हॉल के लिए 2 कैमरों की संख्या)] 1716
3. तीनों पद हेतु स्ट्रॉग रूम में लगाने वाले कुल कैमरों की संख्या [कुल नगर निकाय की संख्या X 3 X 2(प्रत्येक स्ट्रॉग रूम के लिए 2कैमरों की संख्या)] 1488
4. मतदान केन्द्र के परिसर में लगाने वाले कुल कैमरों की संख्या [कुल नगर निकाय की संख्या X 2(प्रत्येक परिसर के लिए 2कैमरों की संख्या)] 496
5. मतदान केन्द्र के अंदर उपस्थित प्रतिशालय कक्ष हेतु कुल कैमरों की संख्या [कुल नगर निकाय की संख्या X 2(प्रत्येक प्रतिशालय कक्ष के लिए 2 कैमरों की संख्या)] 496

**कुल**

**10352**

नोट - \* मधुबनी में बुध की संख्या ज्ञात न होने की स्थिति में संभावित बुध की संख्या रखी गयी है।





निकाय का नाम - नगर परिषद मसौदी

वार्डों की कुल संख्या - 34

मतदान केन्द्र की कुल संख्या - 78

प्रत्येक वार्ड में टेबल की संख्या - 10

प्रत्येक वार्ड में कैमरे की संख्या - 13


मतगणना केन्द्र पर कुल कैमरों की संख्या - 49

मतगणना की कुल राउण्ड (घंटा) - 8








नगर परिषद में अधिकतम मतदान केन्द्र की संख्या - 179

अधिकतम मतदान केन्द्र की स्थिति में राउण्ड की संख्या - 18

(अतः अधिकतम मतदान केन्द्र की स्थिति में प्रत्येक पदवार वार्ड की संख्या 2 करना उचित प्रतीत होता है।)








निकाय का नाम - नगर पंचायत पुनगुन  
 वार्डों की कुल संख्या -  
 मतदान केन्द्र की कुल संख्या -  
 प्रत्येक हॉल में टेबल की संख्या -  
 प्रत्येक हॉल में कैमरे की संख्या -  
 मतदाता केंद्र पर कुल कैमरों की संख्या -  
 नगर पंचायत में अधिकतम मतदान केन्द्र की संख्या -  
 मतदाता केंद्र की कुल राजपत्र (चक्र) -

11  
 15  
 4  
 7  
 30  
 44  
 11









नगरपालिका आम निर्वाचन, 2022

बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र के प्रस्ताव का प्रपत्र

जिला का नाम -

क्रमांक	नगरपालिका का नाम जिसके लिए बज्रगृह/मतगणना स्थल का प्रस्ताव है।	बज्रगृह/मतगणना केन्द्र का पूर्व विवरण नाम सहित	वज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र एक ही परिसर में अवस्थित है ? हाँ/नहीं	आवश्यक व्यवस्था की विवरणी 1. सुरक्षा व्यवस्था 2. पेयजल 3. शौचालय 4. विद्युत व्यवस्था	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

जिला दण्डाधिकारी-सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)

20

